न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भँवरलाल बुगालिया, R. J. S.

विविध आपराधिक प्रकरण : 79/2023 (CIS N0. /2023)

1. विशाल पिता रविशंकर उम्र 18 वर्ष।
2. हार्दिक पिता राजु उम्र 18 वर्ष।
3. विष्णु पिता मुकेश उम्र 18 वर्ष।

निवासीयान पालदेवल बटका फला पुलिस थाना सदर जिला डूँगरपुर (राज.)।

––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण––

ब ना म

राजस्थान राज्य। ––अप्रार्थी/अभियोजन––

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता।
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.–17/2023 पुलिस थाना सदर डूँगरपुर,
अंतर्गत धारा 341, 323, 143, 308, 427 भारतीय दंड संहिता।

उपस्थित :–

1. श्री नगीन पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री गणेश रोत, अधिवक्ता, परिवादी/आहत की ओर से।
3. श्री कौशिक पंड्या, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

:: आदेश :: दिनांक : 31.01.2023

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **विशाल, हार्दिक व विष्णु** की ओर से यह जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता पेश किया गया जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 22.01.2023 को परिवादी राजेश पिता कान्तिलाल डामोर निवासी देवलपाल फला डामोर ने पुलिस थाना सदर डूँगरपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि, ''दिनांक 21.01.2023 को समय करीब 08:30 पी.एम पर वह प्रतिदिन की भांति देवल बस स्टेण्ड़ पर अण्ड़े की लारी पर आमलेट एवं अण्ड़े बेचने का कार्य करता है। अचानक हम सलाह होकर दो बाईक पर विशाल और करण, लोकेश, हार्दिक, विष्णु और उसके साथ अन्य लड़के ने मिलकर उसके साथ फेट, हण्टर, कड़ा से मारपीट की है, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटे आयी हैं तथा उसकी लारी पर पड़ा सामान तोड़–फोड़ दिया है। वहां से उसे एम्बुलेंस द्वारा जनरल हॉस्पीटल डूंगरपुर लाये और उसका इलाज कराया है.....वगैरा।'' जिस पर पुलिस थाना सदर डूँगरपुर द्वारा मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर के लिंक न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर में पेश

किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र लिंक न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें पूर्णतया झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण से तफ्तीश व बरामदगी हो चुकी है। प्रार्थीगण दिनांक 24.01.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा और परिवादी/आहत राजेश ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर उसका एवं प्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो जाना बताया है और माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार की जाती है तो उसको कोई आपत्ति नहीं होने बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण पर अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी/आहत के साथ फेट, हंटर व हाथ में पहने कड़े से मारपीट कर गंभीर प्रकृति की चोटे पहुंचाकर आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करने और रिष्टि कारित करने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

5. मैंने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। प्रथम सूचना के अनुसार दिनांक 21.01.2023 को समय करीब 8:30 पी.एम. पर परिवादी/आहत राजेश देवल बस स्टेण्ड़ पर अण्ड़े की लारी पर आमलेट एवं अण्ड़े बेच रहा था, के साथ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उनके अन्य साथीयों के साथ मिलकर हम सलाह होकर फेट, हंटर व हाथ में पहने कड़े से मारपीट करना, जिससे परिवादी के सिर पर गंभीर चोटे आना और लारी पर पड़ा सामान तोड़–फोड़ देना बताया जाता है। प्रार्थीगण की इत्तला पर घटनास्थल तस्दीक कराना और प्रार्थी/अभियुक्त विशाल की इत्त्ला पर हाथ में पहनने का स्टील का कड़ा बरामद किया जाना बताया जाता है। केस डायरी पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन–प्रपत्र अनुसार आहत राजेश के शरीर पर कुल 05 चोटे आना दर्शित किया गया है जिसमें चोट संख्या–1 वाईटल भाग पर होना, परन्तु प्राणघातक नहीं होने बाबत चिकित्सक द्वारा राय दी गयी है और शेष चोट संख्या–2, 3, 4 व 5 सामान्य प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बताया गया है। परन्तु परिवादी/आहत ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है और प्रार्थीगण से अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 24.01.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगेगा। प्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज या लंबित होना दर्शित नहीं किया गया है। अतः इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई

टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

6. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **विशाल, हार्दिक व विष्णु** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 द. प्र. सं. स्वीकार किया जाकर आदेश है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी पच्चीस–पच्चीस हज़ार रूपये की राशि की जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का मुचलका विद्धान न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर की संतुष्टि का प्रकरण में विचारण पूर्ण होने तक विचारण न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहने के आशय का पेश कर तस्दीक करा दे तो प्रार्थीगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 17/2023 पुलिस थाना सदर डूँगरपुर में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(भॅवरलाल बुगालिया)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर

. आदेश आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भॅवरलाल बुगालिया)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर